

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29, 1972/साघ 9, 1893

No. 41]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29, 1972/MAGHA 9, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह जलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 29th January 1972

G.S.R. 63(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Finance Act, 1971 (14 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 97-Customs, dated the 13th December, 1971, namely :—

In the Table below the said notification, Serial No. 2 shall be renumbered as Serial No. 3 and before Serial No. 3 as so renumbered, the following shall be inserted, namely :—

(1)

(2)

(3)

"2. Crude petroleum falling under Item No. 27(10) of the said First Schedule.

Ra. 4.75 per metric tonne"

[No. 27/F. No. 689-TR(CUS)/71.1

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)
अधिसूचना
सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1972

सां. कां. निं० 63 (अ).—वित्त अधिनियम, 1971 (1971 का 14) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 13 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० 97—सीमा शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में, क्रम सं० 2 क्रम सं० 3 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम सं० 3 के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

“2 उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 27(10) के 4.75 रु० प्रति मीटरी टन”
अन्तर्गत आने वाला अपरिष्कृत पेट्रोलियम।

सं० 27/फा० सं० 689—टी आर (सी० शु०)/71)

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 4 of the Finance Act, 1971 (14 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 98-Customs, dated the 13th December, 1971, namely :—

In the said notification, after the figures and brackets “10(2)”, the figures, brackets and letters “15(9), 27(4)(a), 27(5)(a), 27(6), 27(7)(b), 27(8),” shall be inserted.

[No. 28/F. No. 689-TR(CUS)/71.]

B. N. SHARMA, Under Secy.

सां. कां. निं० 64 (अ).—वित्त अधिनियम, 1971 (1971 का 14) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 13 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० 98-सीमा शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “10(2)” अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, “15 (9), 27(4) (क), 27(5) (क), 27(6), 27(7) (ख), 27(8),” अंक कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे।

[सं० 28/फा० सं० 689-टी आर (सी० शु०)/71]

बी० एन० शर्मा, अधर सचिव।